

तारीख दुका	दुकान या कार्यवाही का विवरण
२४ २४/१०/२२	<p>पानपत्रीपेरा के अन्तर्गत अन्तर्गत की वलन मुड़ी गड़ी डाइरेक्ट के दिनांक २४/१०/२२ पेरा से।</p>
२५ २५/१०/२२	<p>वकुलाम फ्ले उपल कंपनी वलन में क्विचका वारी खलया की वारी की कम्पायन कम्पन मुद्रा क्विचका वारी की मुनि शम मला के वलन ०६५२ रकवा १५ कीघा क्विचका वारी क्विचका वारी का वलन क्विचका से क्विचका वलन का रकवा जाया संख्या २१३ वारी के पानपत्री भरने के प बाद में वारी के मला शायद रिक्वा में इन्साफ वारी क्विचका के दिनांक ११/१०/२३ को उत्तिवारी संख्या ०१ उल वारी के साथ क्विचका वारी करने में कामाजानी करने के वकुलाम मला में क्विचका वलन का वारी का वलन फर्क सफिद वलन जाया उत्तिवारी लक्ष्मीनगर क्विचका को क्विचका नोतिह वलन वलन उत्तिवारी ने क्विचका रिपोर्ट क्विचका वाला में क्विचका की वारी</p>

श्री कृष्ण मठ पर कार्यवाही
२५/१०/२२
निर्णय

दुस्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
दुस्म की तामील
में जारी हुए

जावेदन मीके पर कल्याण वरत नदी
लेने के कारण सीमान उपखण्ड अधिकारी
पानोरी के कार्रवाही क्रमांक 222
दिनांक 25/01/2002 उक्त कार्रवाही
किया गया था। इलाके मय खेति
योग्य होने के कारण पानोरी
आवेदन

वारी के पास पेट प्रतिकरी के
जवाब दिया के जायदाद पर
निम्न तमबी कामन की गई,

1. कामा वारी कल्याण दुहा, जावेदन के
अधिकारी की कृपि कृपि ग्राम मिला
परिवार क्षेत्र मिला के खण्ड 647
रकबा 15 बीघा कृषि का नाम 213
अस पास वारी के काम खण्ड
में दर्ज कर खेति पर कार्रवाही
खोलेन किया आवे (पिके वारी)

2. अनुमोष ?

वारी के तमबी कल्याण 01 को कार्रवाही
काम के लिए श्रीकल्याण नदी के
अमान कल्याण करवाने को 10/1/0
तथा प्रथम क्र. 1 के क्र. 3 लगे।
तथा गोरारम के क्र. 10.2 करवाने
करवाने।

वारी के कृषि परत के पास के
तमबी को प्रोत्साहित हुए वरत की
डिडी करवाने का निदेश किया
मैरे द्वारा वारी द्वारा प्रस्तुत वरत
प्रतिपत्ती तस्कीनपर का जवाब
रूप वारी कल्याण का अनुमोष

तारीख
सु.न

दुसरा या कार्यवाही मय इनिशियलस जग

~~ये वारु के मयन रिना वाद
अपेक्षित पात्रा ही वाही की
अति अपेक्षित इति इसय मापेक्षित
किरु किमा या उगा के वरु
पारी वा वाड साहित्य रही
तेने के अपेक्षित प्रोप्येन जाया
जाता है।~~

'आदेश'

~~वारी का वाद इतिविज ऐव मे
साथो से साहित्य जरी होने
साहित्य रिमा जात है इतिविज
अपेक्षित की मरुति हो पणपनी
केवल शुद्ध होकर मन्कर
का वे साहित्य कर हो
विशेष साहित्य रिमा २॥१॥२०२२
अरे अपेक्षित जाया जाता~~

Handwritten signature

प्राथमिक कलक्टर एवं कार्यपालक महाराष्ट्र
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

डिगरी बमुकदमे इबतदाई

(भा. २१ कल ६, ७ जास्ता होवानी)

धन्य प्रदानक अलायक कलम्टर फास्ट ट्रेड मुकाम फलोवी
 व जिला डॉ अर्चना व्यास (R.A.S)
 1. शंकरलाल पुत्र त्रिवनारमण वनाम 1. तहसीलदा (फलोवी)
उर्फ निवृत्त गण पति खोहरा 2. राजस्थान राज्य जमीने
फुल्लिया प्रधान निवासी मणार मीमान जिला फास्ट प्रोपुल
तह फलोवी
 दावा नम्बर 88 RTI Act & B.P.L.A. Act मुकदमा नं० 2.4.5 सन् 2018
 यह मांग मुकदमा वास्ते इन्फिजिट कर्तव्य है

य हाजरी अल्लिज ज्योषी मिनजानिब मुहई व सरकारी परोवा
 मिनजानिब मुदायलाह पेग होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
वारी डा वाइ दहापेय १९ जोषी साप्ता
साक्षि बही होने से खारिज किया जाता है

कैसे इतलिक बाबत
 सभी का मुकदमे के मध्य हूर दवेरह जो सभी दाताना बाज की तारीख
 के दापिल बहुतबासी तक को प्रवा करे।

समीक्षा केरे दरतलत व मुहर प्रबालत के प्राज तारीख 2 माह 11 सन् 2021 को
 जारी की गई है।



दस्तखत [Signature]
प्रोविडा एव कायपालक दण्डनाक
(फास्ट ट्रेड) फलोवी

उरई	पंसे	मुदायलाह	रूपे	पंसे
राज्य प्ररवी दावा		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प प्रारजी	"	
राज्य वजह धाबुत	"	मेहन्ताना वकील	"	
प्रमहाना वकील	"	खर्चा गवाहान	"	
दावा गवाहान		फोस कमीशनर		
जिल कमीशनर		बाबत इजराय हुकमनामा		
मुकद इजराय हुकम नागा		मुतफरिफ		
सहायक				
मीजान				मीजान

नोट : इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया
 वा नहीं दर्ज करना चाहिये।